



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15 जैसलमेर रोड, बीकानेर राजस्थान

क्रमांक : F-4 ()/मगसविबी/सा.प्र./विविध निविदा /2018/ । 3805

दिनांक : 20.8.18

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रु.	निविदा शुल्क रु.
1.	विभिन्न समारोहों हेतु डोम टेट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
✓	विभिन्न समारोहों हेतु टेट व्यवस्था	8.00	16,000/-	200/-
3.	माइक्रोसॉफ्ट अधिकृत फर्मों द्वारा कैपस रिन्यूअल	3.65	7,300/-	200/-
4.	कैटीन एवं अतिथि गृह संचालन	9.00	18,000/-	200/-
5.	फ्लेक्स प्रिंटिंग व आपूर्ति	3.00	6,000/-	200/-

नोट : 1. बिना धरोहर राशि, सशर्त, अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. उक्त कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर प्रथक रूप से निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित उपरोक्तानुसार 30.08.18 दिनांक को मध्यान्ह 1:00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में जमा की जायेगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेगी 3. अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4. निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgsubikaner.ac.in एवं <http:// sppp .rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है, उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

Kum
कुलसचिव



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

१३

टेंट व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

निविदा—पत्र

कार्य का नाम—	<u>टेंट व्यवस्था</u>	निविदा फार्म एवं धरोहर राशि व निविदा शुल्क जमा करने की अवधि	30.8.18 मध्याह्न 01:00 बजे तक
निविदा क्रमांक—	दिनांक 13805 20.8.18		30.8.18
अनुमानित लागत धरोहर राशि निविदा शुल्क	टेंट व्यवस्था: ₹.8,00,000/-, ₹. 16,000/-	निविदा खोलने की तिथि	मध्याह्न 03:00 बजे तक

-(वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिये निविदा ।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का नाम (मय दूरभाष/मो.न.)
.....
.....
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या (प्रति
संलग्न है)
- किनको सम्बोधित किया गया.....
.....
.....
- संदर्भ.....
.....
.....
- निविदा शुल्क की राशि नकद रसीद एवं दिनांक द्वारा
रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/ ड्राफ्ट संख्या के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।
- हम द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी षट्ठी से तथा
संलग्न षीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं । (इनके सभी पृष्ठों
पर इनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।)


Kuldip Jain

बड़ी नाल

(e)

8. फर्म को विश्वविद्यालय भवन, कुलपति आवास, कोटड़ी गाँव तथा बीकानेर शहर में स्थित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सेवाओं की प्रदायगी करनी होगी।
9. फर्म को आदेश प्राप्त होते ही निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय से तीन घंटे पूर्व समस्त व्यवस्था करनी होगी। आदेशित किये गए समय से अगले 24 घंटे की सेवायें प्राप्त करते हुए एक दिवस का कार्य मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. उपर उल्लिखी की गई दरें एक वर्ष तक की अवधि के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
11. बैंक ड्राफ्ट / बैंक चैक संख्या जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। दिनांक रूपये के लिये धरोहर राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
12. निविदा पत्र के साथ GST प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. पूर्व में किये गये विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। (यदि हो तो प्राथमिकता दी जायेगी)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



Kuldeep Singh
.....



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

(3)

टेंट व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा प्रपत्र

- निविदादाता का नाम (फर्म) का पूरा पता :
- फर्म एकल / भागीदारी (दस्तावेजों की सत्यप्रति संलग्न करें) :
- भागीदारों के नाम :
- नाम जो लेनदेन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति :
- बैंक जिसके माध्यम से लेनदेन करते हैं :
- दरें नीचे लिखी तालिका में अंकित करें :

(अ) टेंट व्यवस्था

क्र.सं.	विवरण	मापदण्ड	दर समस्त कर सहित (रूपये प्रति आईटम प्रतिदिन बीकानेर शहर में)	दर समस्त कर सहित (रूपये प्रति आईटम नाल के पास स्थित छोटी बड़ी नाल के लिए)
1.	शामियाना मय सीलिंग पाइप टेंट 10/14 फीट सहित	Per sq. ft		
2.	क्नात पर्दा (सूती /साटन/ताइवान) 18x10 फीट	Per item		
3.	झालर बोर्ड के लिए 4x6 फीट	Per item		
4.	झालर बोर्ड के लिए 4x18 फीट	Per item		
5.	पाईप टेंट गोल (पाइप 10/14 फीट पर) संपूर्ण सीलिंग पर्दा कनात आदि सामग्री सहित	Per sq. ft		
6.	बोर्ड (वेलवेट/साटन/ताइवान) बिना सीलिंग (6x10 फीट)	Per item		
7.	बोर्ड (फाइबर) बिना सीलिंग (6x10 फीट)	Per item		
8.	स्टेज मय डबल सीडी (स्टैण्डर्ड साइज़ 3.5 फीट ऊँचाई के पाठों द्वारा)	Per sq. ft		

9.	कुर्सी केन	Per item		
10.	कुर्सी स्टील फैन्सी	Per item		
11.	कुर्सी प्लास्टिक	Per item		
12.	कुर्सी प्लास्टिक सफेद कवर सहित	Per item		
13.	कुर्सी स्टील सफेद कवर सहित	Per item		
14.	कुर्सी डनलप बिना कवर	Per item		
15.	कुर्सी डनलप सफेद कवर सहित	Per item		
16.	सोफा डनलप सिंगल सीटर बिना कवर	Per item		
17.	सोफा डनलप डबल सीटर बिना कवर	Per item		
18.	सोफा डनलप ट्रीपल सीटर बिना कवर	Per item		
19.	सोफा डनलप सिंगल सीटर कवर सहित	Per item		
20.	सोफा डनलप डबल सीटर कवर सहित	Per item		
21.	सोफा डनलप ट्रीपल सीटर कवर सहित	Per item		
22.	सोफा लकड़ी मय कुशन बिना कवर (एक सीट)	Per item		
23.	सोफा लकड़ी मय कुशन कवर सहित (एक सीट)	Per item		
24.	सोफा लकड़ी मय कुशन बिना कवर(तीन सीट)	Per item		
25.	सोफा लकड़ी मय कुशन कवर सहित (तीन सीट)	Per item		
26.	वीआईपी सोफा (एक सीट)	Per item		
27.	डबल वीआईपी सोफा	Per item		
28.	टेबल	Per item		
29.	सेंटर टेबल	per item		
30.	टेबल कवर	Per item		

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name like "Kuldeep Singh".

३

31.	टेबल झालर	Per item		
32.	दरी	Per sq. ft		
33.	मैटिंग ग्रीन/रेड मय बॉप टेप किक्सिंग इत्यादि	Per sq. ft		
34.	पायदान जूट बडा	Per item		
35.	पाइप गेट	Per running ft		
36.	पंखा	Per item		
37.	क्लूर फाइबर	Per item		
38.	पानी झ्रम लगभग 200 लीटर	Per item		
39.	गद्दे	Per item		
40.	तकिये	Per item		
41.	चद्दर	Per item		
42.	रजाई	Per item		
43.	पोल 14 फीट विभिन्न रंगो के झांडो सहित मय लगवाना-उत्तरवाना की मज़दूरी)	Per item		
44.	पोल मय झांडा (लगवाना, उत्तरवाना की मज़दुरी) झण्डा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाये	Per item		

Kuldeep Singh

⑥

45.	पोल मय झांडा (लगवाना, उत्तरवाना की मजदुरी) पोल व झाण्डा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जाये	Per item		
46.	बैरीगैटिंग बांस बल्ली द्वारा	Per running ft		
47.	टैट के अन्दर दो स्तर पर रस्सी द्वारा बैरीगैटिंग	Per running ft		
48	२८ के अंडर माइक्रो / रोड रेटम	As per Pundal		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Kuldeep Jain



महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

७

राष्ट्रीय राजमार्ग न.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर

विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं यथा टेंट व्यवस्था हेतु वार्षिक दर संविदा की शर्तें

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर टेंट व्यवस्था ही भरकर देनी होगी। अन्य किसी फार्म/ कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि अनुमानित लागत की दो प्रतिशत की दर से अग्रिम बतौर टैण्डर के साथ लगानी होगी।
2. किसी प्रकार की प्रति-शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नहीं होगी।
3. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं होनी चाहिए। किसी कारण काट-छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. मांग पर सप्लाई न करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की पेशगी (अग्रिम) नहीं दी जावेगी।
7. समस्त सामान की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
8. समस्त व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर आदेशनुसार चाहे गये सामान को दुकान से उपयोग स्थल तक लाने ले जाने का, लगाने एवं हटाने/समटने एवं सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व निविदादाता का होगा। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्यों के लिये किसी भी प्रकार किराया भाड़ा एवं मजदूरी अतिरिक्त देय नहीं होगी।
9. समस्त व्यवस्थाओं के लिये अलग से कोई पारिश्रमिक एवं मजदूरी नहीं दी जाएगी।
10. ठेकेदार किराया पर लिये जाने वाले बर्तन की साफ-सफाई का दायित्व निविदादाता का होगा।
11. दरैं समस्त कर सहित एफ.ओ.आर सहित होगी। अलग से किसी प्रकार का कोई कर/वैट/शुल्क आदि देय नहीं होगा।
12. समस्त व्यवस्थाओं का कार्यक्रम की दिनांक का ही किराया देय होगा। एक दिन पहले अथवा एक दिन बाद का देय नहीं होगा।
13. समस्त व्यवस्थाओं का कार्यक्रम समिति द्वारा फर्म का निरीक्षण कर यथा निर्देशनुसार कार्य फर्म को संपादित करना होगा।

14. टेंट व्यवस्था में कुर्सी/ टेबल/मैट एवं जिन पर चद्र एवं झालर आदि लगाने का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा जिसके लिये अलग से किसी प्रकार कोई पारश्रमिक/मजदूरी आदि नहीं दी जायेगी ।
15. समस्त व्यवस्थाओं का विश्वविद्यालय की आवश्यकता होने पर मांग अनुसार बताये गए समय पर आवश्यक रूप से करनी होगी । किसी प्रकार का विलम्ब एवं अव्यवस्था पर शास्ति बिल राशि पर 10 % तक काटी जा सकेगी ।
16. दरें एक वर्ष के लिए अनुमोदित की जायेगी जिसे आपसी सहमती से घटाया बढ़ाया जा सकता है एवं मांग अनुसार जब भी जिस आईटम की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार सप्लाई करनी होगी ।
17. फर्म द्वारा समस्त व्यवस्थाओं की व्यवस्था कार्यक्रम दिवस पर न करने पर आवश्यकतानुसार स्थनीय बाजार से ठेकेदार की रिस्क एंड कास्ट के आधार पर अन्य ठेकेदार से कार्य करवाया जा सकेगा जिससे होनेवाले नुकसान की भरपाई निविदा दाता को करनी होगी ।
18. समस्त व्यवस्थाओं का कार्यक्रम समिति के आदेशानुसार होने पर ही भुगतान किया जाना संभव होगा ।
19. विश्वविद्यालय में लगाये गये सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी इसके अतिरिक्त अन्य सामान की व्यवस्था व देखभाल अपने स्तर पर करनी होगी ।
20. कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की टूट फूट या क्षति के लिए निविदादाता उत्तरदायी होगा ।
21. विश्वविद्यालय में कार्यालय कार्य अनुमोदित दरों पर करना होगा ।
22. माइक /साउंड सिस्टम व्यवस्था के संबंध में माइकों के सुचारू रूप से संचालन हेतु माइक ऑपरेटर की व्यवस्था कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व एवं अंतिम चरण तक माइक ऑपरेटर उपस्थित रहेगा । जिसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा ।
23. दरें अनुमोदित होने पर सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि समायोजन करने के पश्चात बकाया प्रतिभूति राशि 3 % अतिरिक्त जमा कराते नियमानुसार राशि के नीन ज्युडिशिअल स्टाम्प पर सात दिवस के अंदर-अंदर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा ।
24. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो रखीकृत करने किसी भी निविदा के बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रद्द करने या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधक वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।



K. Balachandran
T. S. Jain

25. समस्त व्यवस्थाओं के लिए वही फर्म आवेदन करें जो की उस सम्बंधित व्यवसाय में कार्यरत हैं। अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(9)

26. धरोहर राशि:-

- (i) निविदा के साथ धरोहर राशि नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।
- (ii) धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकारों को करार के समय सामग्री मूल्य की पॉच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा। शेष प्रतिभूति राशि भी नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (iii) राजस्थान के लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को निदेशक उद्योग विभाग द्वारा जारी किए पंजीयन प्रमाण-पत्र, क्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर 0.5 प्रतिशत धरोहर राशि ली जाएगी तथा आदेशित मूल्य 1 प्रतिशत प्रतिभूति राशि ली जावेगी।
- (iv) केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपकरणों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

27. निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि:-

- (i) किसी भी निविदा को स्वीकार करने में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्युनतम दर की निविदा हो।
- (ii) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की ईच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।
- (iii) सफल निविदादाताओं को अपने खर्च पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के दस दिवस में निमानुसार कार्यवाही करनी होगी:-
 1. जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के नाँच ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
 2. संविदा के यथावत कियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा 15 दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्य आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को शर्त संख्या 2 के (iii) में वर्णित सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सफल

Kuljeet Jain

निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

- (iv) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर केता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशातः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।
- (v) प्रतिभूति राशि बिलों का अंतिम भुगतान हो जाने एवं समस्त संबंधितों से संतोषप्रद कार्य की सूचना प्राप्त होने एवं संविदा की कार्यावधि पूर्ण होने के पश्चात् के धरोहर/प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
- (vi) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्ज) संविदादाता द्वारा वहन किए जाएँगे।

28. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख उपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

29. विवाद होने पर बीकानेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।

30. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

कुलसचिव

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपर्युक्त सभी शर्तें स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर



सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,—

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या सविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :
तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति महाराजा गगांसिंह विश्वविद्यालय जैसलमेर रोड, बीकानेर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व — अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा — 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव श्रीध विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारिख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विव्रध कोई अपील नहीं होगा।

अर्थात्:

क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण

ख: बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

ग: यह विनिश्यक की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं

घ: निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण

ड: गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

4. अपील का प्ररूप— (1) धारा 38 की उप—धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस।-

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया।-

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समर्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Kuldeep Jain

(B)

प्ररूप सं. 1

(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील
का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके
विरुद्ध अपील की गयी है और
अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,
जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि
संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के
उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी
विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे
अपीलार्थी व्यक्ति है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा
प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता
है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों
और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....
*
.....

(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर


Kuldeep Singh

अनुलग्नक "द"

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का

सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार।— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार।—

- (1) संविदा के अधिनिर्णयके समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
- (2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी —
- (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और
- (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

Kuldeep Jain

3. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन।-

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समरत परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि

उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्तारक्षर मय सील